## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

<u>1. अपील संख्या - 1414/2012/जयपुर.</u>	<u> 6. अपील संख्या – 1419/2012/जयपुर.</u>
2. अपील संख्या - 1415/2012/जयपुर.	7. अपील संख्या – 1420/2012/जयपुर.
3. अपील संख्या – 1416/2012/जयपुर.	<ol> <li>8. अपील संख्या – 1421/2012/जयपुर.</li> </ol>
<ol> <li>अपील संख्या – 1417/2012/जयपुर.</li> </ol>	9 अपील संख्या <u>1421/2012/0144</u>
<ol> <li>अपील संख्या – 1418/2012/जयपुर.</li> </ol>	9. अपील संख्या – 1422/2012/जयपुर. 10. अपील संख्या – 1423/2012/जयपुर.
	7 J.

बनाम

मैसर्स भारत पोटरीज लिमिटेड, एफ–555–559, रोड़ नं0 6, वी.के.आई.ए., जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

## <u>एकलपीठ</u> श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह, उप–राजकीय अभिभाषक श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

......अपीलार्थी की ओर से. .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/04/2017

#### निर्णय

1. उपर्युक्त 10 अपीलें अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या क्रमशः 157, 156, 159, 158, 161, 160, 163, 162, 165 व 164 / अपील्स–तृतीय / 11–12 / ई में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 20.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 26, 55 एवं 61 अन्तर्गत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. इन प्रकरणों के पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा आलौच्य अवधियों (वर्ष 2006–07 से 2010–11) में बोन चाइना क्रोकरी, टेबलवेयर इत्यादि का निर्माण करके इनकी राज्य एवं अन्तर्राज्यीय बिक्री की गयी है। जांच अधिकारी ने जांच में यह पाया कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा जारी अन्तर्राज्यीय बिक्री के बिलों में ग्राहकों से बीमा (Insurance) के नाम से राशि वसूल की गई है किन्तु ग्राहकों से उक्त वसूल की गयी बीमा राशि पर प्रत्यर्थी द्वारा कर दायित्व वहन नहीं किया जाना पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रत्यर्थी व्यवसायी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी गई, जिस पर सशक्त अधिकारी ने पत्रावली की जांच के उपरान्त एवं बाद सुनवाई प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में जारी अन्तर्राज्यीय बिलों में वसूल की गयी बीमा राशि पर कर, ब्याज एवं करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया।

4. प्रत्यर्थी द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से निस्तारित करते हुए आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति की राशियों को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से असंतुष्ट होकर राजस्व द्वारा यें अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जांच के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी विक्रय बिलों में क्रेता व्यवहारियों से बीमा के नाम पर राशि वसूल कर रहा था किन्तु उक्त राशि को विक्रय मूल्य का भाग नहीं मानकर विवरणियों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के रिकार्ड यथा प्रस्तुत बैलेंस शीट में उसके साथ संलग्न अनुसूची में वसूल की गई बीमा की राशि, निम्न प्रकार से है :--

वर्ष	वसूल की गई बीमा राशि
2006-07	2,68,727 / -
2007-08	3,48,998 /
2008-09	3,50,973 /
2009-10	2,99,994 /
2010-11	4,71,592 /

-: 2 :--

उक्त विभाजन को प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विवादित नहीं किया है। उक्त राशि व्यवहारी ने अपने बहियात में क्रेताओं से वसूल की गई है इसमें भी कोई विवाद नहीं है परन्तु चूंकि उक्त राशि क्रेताओं से माल की सुपुर्दगी से पूर्व बीमा करवाकर वसूल की गई है अतः अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार विक्रय मूल्य का हिस्सा है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बीमा कम्पनी से माल परिवहन के प्रारम्भ से ही एक कॉमन पॉलिसी ली जाती है एवं जब माल का विक्रय किया जाता है तब विक्रय बिल में से एक निश्चित राशि बीमा के नाम से वसूल की जाती है, जबकि उक्त राशि माल सुपुर्दगी से पूर्व के खर्चे हैं, जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा विक्रय मूल्य का भाग मानकर करारोपण करते हुए विवरणियों में उक्त विक्रय दर्शित नहीं करने पर शास्ति का आरोपण उचित रीति से किया है एवं इस पर देय होने वाले ब्याज का आरोपण भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है परन्तु अपीलीय अधिकारी ने इसको बिना किसी उपयुक्त विवेचन के, अविधिकपूर्ण तरीके से उक्त आरोपित राशियों को अपास्त कर दिया गया है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स इंडिया मीटर्स लि० बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 07.09.2010, टैक्स अपडेट वोल्यूम 28 पार्ट---3, पेज 7 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

-: 3 :--

है।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ग्राहकों से वसूली गयी बीमा राशि बिक्री मूल्य का भाग नहीं है तथा बीमा राशि को Only paid for and on behalf of customer होना व्यक्त किया। इस बिन्दु पर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 2(36) का संदर्भ लेते हुए यह उल्लेख किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बीमा कम्पनी से गुड्स इन ट्रांजिट के लिए शुरू में ही एक कॉमन पॉलिसी ले ली जाती है तथा जब किसी विक्रेता विशेष को माल विक्रय किया जाता है तब विक्रय बिल में एक निश्चित राशि, बीमा के नाम से क्रेताओं से वसूल की जाती है। क्रेता को माल डिलीवरी से पूर्व ही विक्रय बिल के माध्यम से बीमा के नाम से वसूल की जाने वाली राशि अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार विक्रय मूल्य का भाग होती है अन्यथा नहीं। सशक्त अधिकारी को बीमा राशि को विक्रय मूल्य में शामिल करने से पूर्व इस तथ्य को सुस्थापित करना चाहिये था तत्पश्चात् ही प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध वैट दायित्व ठहराया जाना चाहिए था। सशक्त अधिकारी ने Only paid for and on behalf of customer नहीं मानकर विक्रय मूल्य का भाग माना

लगातार.....4

8. विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि जो क्रेता व्यवहारी बीमा कराना चाहते हैं उनसे ही बीमा राशि वसूल की जाती है। अतः सभी क्रेताओं पर बीमा की बाध्यता नहीं होती है। उन्होंने कथन किया कि बीमा का विकल्प क्रेताओं पर है। सभी क्रेताओं ने बीमा की सेवा नहीं ली है। बीमा विकल्प पर बीमा लाभ एवं बिना विकल्प बीमा लाभ नहीं लेने वाली बिक्री का विवरण भी सशक्त अधिकारी को पेश किया हुआ है। सशक्त अधिकारी ने कहीं भी यह प्रमाणित नहीं किया कि संग्रहित बीमा राशि बिलों में पृथक से चार्ज की गयी है जबकि यह सशक्त अधिकारी के जांच एवं यह प्रमाणीकरण के दायित्व के अधीन था। प्रत्यर्थी ने कहीं भी उक्त तथ्य नहीं छिपाये हैं।

-: 4 :--

विद्वान अभिभाषक ने आगे जाहिर किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा 9. उद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त टैक्स अपडेट वोल्यूम 28 पार्ट 3 पेज 7 पैरा 41 को करारोपण का आधार बनाया है जो अधिनियम की सेल प्राईस की परिभाषा पर आधारित न होकर तामिलनाडु के नियम 6 पर आधारित है जो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 2198 के तथ्यों पर आधारित है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त निर्णय की नजीर 136 एस. टी.सी. 285 पेश कर निर्णय के पैरा संख्या 4 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि वहां "freight and insurance charges payable up to destination was Rs. 3 per meter for which no separate voucher would be necessary and that charge would be kept firm till the completion of the contract" के तथ्य थे जो बीमा / किराया राशि कांट्रेक्ट के अनुसार बिलों में पृथक से चार्ज नहीं किया गया था अपितु for delivery के पश्चात debit note के जरिये प्राप्त किया था। इस प्रकार प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा उद्धरित नजीरें, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) में परिभाषित "सेल प्राईस" के संदर्भ में लागू नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथन के साथ राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त निर्णयों के आलोक में कथन किया कि 10. अपीलीय अधिकारी द्वारा उनकी अपीलें विधिक तौर पर उचित तरीके से स्वीकार कर सशक्त अधिकारी के आदेशों को निरस्त किया है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

11. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपीलों में वर्णित तथ्यों/आधारों, बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्कों तथा कर निर्धारण पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया तथा उद्धरित दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

लगातार......5

12. प्रकरणों के तथ्यों के सन्दर्भ में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(एच) एवं अधिनियम की धारा 2(36) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :--

#### CST Act, 1956

**2(h) "Sale price"** means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged;

**PROVIDED** that in the case of a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract, the sale price of such goods shall be determined in the prescribed manner by making such deduction from the total consideration for the works contract as may be prescribed and such price shall be deemed to be the sale price for the purpose of this clause;

#### **RVAT Act**, 2003

**2(36) "sale price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

13. विक्रय मूल्य की उपरोक्त परिभाषाओं के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी से पूर्व किये गये समस्त खर्चे विक्रय राशि के भाग होंगे।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स इंडिया मीटर्स लि0 बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 07.09.2010, टैक्स अपडेट वोल्यूम 28 पार्ट–3, पेज 7 में मैसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, 1979 (43 एस.टी.सी. 13) के प्रकरण में दिये गये निर्णय के पैरा 8 का सन्दर्भ देकर इस तथ्य को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि :--

-: 5 :--

chaged by him. The "Sale Price" in such a case could be the entire price inclusive of excise duty because that would be the consideration payable by the purchaser for the sale of the goods. True, the excise duty component of the price would not be an addition to the coffers of the dealer, as it would go to reimburse him in respect of the excise duty already paid by him on the manufacture of the goods. But even so, it would be part of the sale price because it forms a component of the consideration payable by the purchaser to the dealer. It is only as part of the consideration for the sale of the goods that the amount representing excise duty would be payable by the purchaser. There is no other manner of liability, statutory or otherwise, under which the purchases would be liable to pay the amount of excise duty to the dealer. And, on this reasoning, it would make no difference whether the amount of excise duty is included in the price charged by the dealer or is shown as a separate item in the bill. In either case, it would be part of the sale price. So also, the amount of sales tax payable by a dealer, whether included in the price or added to it as a separate item as is usually the case, forms part of the sale price. It is payable by the purchaser to the dealer as part of the consideration for the sale of the goods and hence falls within the first part of the definition."

2

-: 6 :--

# 15. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी आदेश के पैरा 41 व 42 में निम्न प्रकार से व्यवस्था दी है कि :--

"41. When we apply the ratio of the judgments of the English courts and of our courts, the conclusion becomes obvious that the amount of freight and insurance chages incurred by the dealer forms part of the sale price.

42. We may reiterate that in this case, there was specific contract entered into by and between the parties and according to the relevant clause of the contract, the ownership of the goods will remain with the supplier till they are delivered at the destination station."

16. सक्षम अधिकारी की पत्रावली में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी किये गये बिलों की प्रतियां उपलब्ध हैं, जिनका अवलोकन किया गया। उक्त बिलों में व्यवहारी द्वारा माल की कीमत के साथ ही बीमा राशि वसूल की गयी है। बिलों में नीचे स्पष्ट अंकन किया हुआ है कि – "Certified that the particulars given above are true and correct and the amount indicated represents the price actually charged and that there is no flow additional consideration directly or indirectly the buyer." इसके साथ ही व्यवहारी द्वारा जारी बिलों में "Only paid for and on behalf of customer" भी अंकित होना नहीं पाया जाता है।

लगातार.....7

17. उपरोक्त न्यायिक व्यवस्था एवं तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय उनकी मदद नहीं करते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रेताओं से संग्रहीत बीमा राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं मानने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश कर व ब्याज आरोपण की सीमा तक अपास्त किया जाकर, इस सीमा तक सक्षम अधिकारी का आदेश बहाल किया जाता है।

18. जहां तक उपरोक्त विक्रय राशि को विवरणियों में नहीं दर्शाने पर शास्ति आरोपण का प्रश्न है इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वी.एस.टी. 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158, सी.टी.ओ. बनाम कल्पतरू पावर ट्रासंमिशन एवं कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1320/2013/सिरोही सीटीओ बनाम बिनानी सीमेंट लि0 निर्णय दिनांक 26.06.2014 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ केरला 7 वी.एस.टी. 621 माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुरूप जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी के समस्त संव्यवहार उनके लेखा पुस्तकों में दर्ज किये हुए हैं।

19. अतः माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के आलोक में आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया जाना विधिक होने से कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें इस सीमा तक अस्वीकार की जाती हैं।

20. उपरोक्त विवेचन के अनुसार राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

21. निर्णय प्रसारित किया गया ।

-: 7 :--

(खेमराज)

अध्यक्ष